policy-holders can approach the Grievances Redressel Cells which have been set up by the LIC at the Zonal and Divisional levels for prompt redressal of grievances. Besides, the unsatisfied claimants can also approach the Central Govt, through the Directorate of Public Grievances, New Delhi which looks into such complaints. They have also the option of approaching Consumers' forums for appropriate redressal in this regard.

उत्तर प्रदेश में नाबार्ड द्वारा दी गई पुनर्वित्त सहायता

2994. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रति वर्ष कितनी धनराशि की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) राज्य में विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ऋण की कितनी सीमा निर्धारित है और उसके कितने प्रतिशत भाग का उपयोग किया जाता है;

(ग) बैंकों और अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उक्त पुनर्वित्त सहायता के कितने प्रतिशत भाग का उपयोग सर्वाधिक पिछड़े तथा निर्धन आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण के लिए किया गया है;

(घ) क्या "नाबार्ड" ने अपने द्वारा गरीब आदिवासी लोगों को दी जा रही सहायता का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता की राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राशि
1988-89	200.78
1989-90	273-29
1990-91	339-47

(ख) वर्ष 1990-91 (जुलाई-मार्च) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर की गई सीमाओं की राशि और उनका उपयोग नीचे दिया गया है:

((करोड़ रुपए)

अल्पावधिक ऋण सीमायें (मौसमी कृषि परिचालन आदि)			मध्यावधिक ऋण सीमायें (गैर योजनाबद्ध)		
मंजूर की गई सीमाएं	निकासी	सीमाओं की तुलना में निकासी की प्रतिशतता	मंजूर की गई सीमाये	निकासी	सीमाओं की तुलना में निकासी की प्रतिशतता
40.23	30.89	76.8	12.05	8.78	72.9

(ग) बैंकों/सहकारी संगठनों द्वारा प्रत्येक राज्य में बहुत पिछड़े तथा गरीब आदिवासी क्षेत्रों के लाभ के लिये इस्तेमाल की गयी पुनर्वित्त सहायता से संबंधित सूचना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम द्वारा तैयार की गई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य-योजना के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा वर्ष 1990-91 में प्रदान की गयी कुल पुनर्वित्त सहायता की रकम 10 करोड़ रुपए थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इसी वर्ष छोटे सीमांत किसानों को लघु सिंचाई, भूमि विकास और विविधीकृत प्रयोजनों के लिए 1203 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता भी प्रदान की है जो इस प्रयोजन के लिए संवितरित की गयी पुनर्वित्त सहायता का 79 प्रतिशत हिस्सा बैठती है।

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपने द्वारा प्रदान की गयी पुनर्वित्त सहायता में से गरीब आदिवासियों को हुए लाभों का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये, यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Board of Directors of Saurashtra Kutch Stock Exchange

2995. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the Article of Association of Saurashtra Kutch Stock Exchange, suggestion of a name by Shareholder Association of Rajkot for the Board of directors has not been taken up till now; and

(b) if so, what are the reasons therefor?